

चिकित्सीय वित्तीय सहायता नीति सारांश

Kaiser Permanente का चिकित्सीय वित्तीय सहायता (Medical Financial Assistance (MFA)) कार्यक्रम पात्र मरीजों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जिन्हें Kaiser Permanente में मिलने वाली या Kaiser Permanente प्रदाता द्वारा प्रदान की जाने वाली आपातकालीन स्थिति या चिकित्सीय आवश्यकताओं के लिए भुगतान करने में सहायता की आवश्यकता है। मरीज MFA कार्यक्रम में कई तरीकों से आवेदन कर सकते हैं, जिसमें शामिल है - व्यक्तिगत रूप से, फोन द्वारा, अथवा एक कागजी आवेदनपत्र भरकर प्रस्तुत करने के द्वारा। पात्र होने के लिए मरीजों को निम्नलिखित मानदण्ड आवश्यकताओं को पूर्ण करना आवश्यक है।

वित्तीय सहायता के लिए कौन पात्र है, और क्या आवश्यकताएं हैं?

यह कार्यक्रम निम्न आय वाले, अबीमाकृत, अथवा अयोग्य मरीजों की सहायता करता है, जिन्हें अपने चिकित्सीय देखभाल का पूर्ण या आंशिक भुगतान करने में सहायता की आवश्यकता है। सामान्य तौर पर, मरीज वित्तीय सहायता के लिए तब पात्र होते हैं, जब उनकी सकल घरेलू आय, संघीय निर्धनता दिशानिर्देश (Federal Poverty Guidelines (FPG)) के 300% पर या इससे कम होती है, अथवा असामान्य रूप से उच्च चिकित्सीय व्यय होता है। पात्रता का निर्धारण करने तथा आवेदन करने में सहायता के लिए मरीजों को किसी Kaiser Permanente केन्द्र व्यावसायिक कार्यालय अथवा चेक-इन डेस्क पर कर्मचारियों से बात करनी चाहिए।

जो मरीज, चिकित्सीय वित्तीय सहायता के लिए पात्र होते हैं, उनसे आपातकालीन स्थिति या अन्य चिकित्सीय रूप से आवश्यक देखभाल के लिए सामान्य रूप से बिल की गई राशि (Amounts generally billed, AGB) से अधिक राशि नहीं अधिभारित की जाती है। AGB के बारे में सूचना के लिए kp.org/mfa/wa को देखें।

क्या Kaiser Permanente सार्वजनिक एवं निजी कार्यक्रम पात्रता के लिए मरीजों को स्क्रीन करता है?

Kaiser Permanente मरीजों को संभावित सार्वजनिक एवं निजी स्वास्थ्य कवरेज कार्यक्रम की पहचान करने में सहायता करता है, जो कि उनकी स्वास्थ्य देखभाल पहुंच आवश्यकताओं में सहायता कर सकते हैं। कोई ऐसा मरीज जो किसी सार्वजनिक या निजी स्वास्थ्य कवरेज कार्यक्रम के लिए पात्र समझा जाता है, उसे उन कार्यक्रमों में आवेदन करने की आवश्यकता है।

कार्यक्रम में क्या चीजें कवर हैं?

चिकित्सीय वित्तीय सहायता कार्यक्रम किसी Kaiser Permanente चिकित्सा कार्यालय, अस्पताल, फार्मसी पर अथवा किसी Kaiser Permanente प्रदाता द्वारा प्रदान की गई चिकित्सीय रूप से आवश्यक देखभाल को कवर करता है। कवर नहीं की गई सेवाओं के प्रकार में ये चीजें शामिल हैं - ऐसी सेवाएं जिन्हें किसी Kaiser Permanente प्रदाता द्वारा आपातकालीन या चिकित्सीय रूप से आवश्यक नहीं माना जाता है, बंध्यता उपचार, तथा सरोगेसी सेवाएं, साथ ही साथ स्वास्थ्य सेवा प्रीमियम। कृपया MFA नीति में अधिक पूर्ण सूची देखें।

क्या कोई भाषा सहायता है?

दुभाषिए उपलब्ध हैं, जिनके लिए आपको कोई व्यय नहीं देना होगा। यदि आपको किसी दुभाषिया की सहायता से किसी व्यक्ति से बात करने की आवश्यकता हो, तो कृपया सदस्य सेवा को 1-888-901-4636 पर कॉल करें अथवा हमारी वेबसाइट kp.org/mfa/wa पर विजिट करें।

क्या Kaiser Permanente की कोई वित्तीय सहायता नीति है?

आप 800-992-2279 पर कॉल करने, kpwa.resource-L@kp.org, पर ईमेल करने अथवा हमारी वेबसाइट kp.org/mfa/wa पर विजिट करने के द्वारा Kaiser Permanente की चिकित्सीय वित्तीय सहायता नीति की अपनी निःशुल्क प्रति का अनुरोध कर सकते हैं।

सहायता चाहिए?

चिकित्सीय वित्तीय सहायता आवेदन प्रक्रिया के बारे में प्रश्नों या सहायता के लिए कृपया कॉल करें - 800-442-4014, विकल्प 4, विकल्प 7, अथवा किसी Kaiser Permanente केन्द्र व्यावसायिक कार्यालय अथवा चेक-इन डेस्क में कर्मचारियों से बात करें।

मैं कैसे आवेदन करूं?

आप चिकित्सीय वित्तीय सहायता के लिए कई तरीकों से आवेदन कर सकते हैं -- या तो कार्यक्रम सूचना के बारे में व्यक्तिगत रूप

से अथवा फोन द्वारा अनुरोध करने के लिए सदस्य सेवा से 888-901-4636 पर सम्पर्क करने के द्वारा अथवा अथवा निम्नलिखित से किसी भी स्रोत से कागजी आवेदनपत्र का अनुरोध करने के द्वारा:

- किसी Kaiser Permanente केन्द्र व्यावसायिक कार्यालय अथवा चेक-इन डेस्क में कर्मचारीगण।
- कॉल करें 800-992-2279
- ईमेल द्वारा (निशुल्क) - kpwa.resource-L@kp.org
- kp.org/mfa/wa पर जाकर Kaiser Permanente कम्युनिटी वेबसाइट के माध्यम से एक आवेदनपत्र डाउनलोड करें।

कृपया पूरे भरे हुए आवेदनों को भेजें (आवेदन निर्देशों में विनिर्दिष्ट सभी आवश्यक प्रलेख तथा सूचना समेत)

-- निकटतम Kaiser Permanente केन्द्र व्यावसायिक कार्यालय अथवा चेक-इन डेस्क में व्यक्तिगत रूप से

-- इस पते पर डाक द्वारा: Kaiser Permanente, Medical Financial Assistance, P.O. Box 34584, Seattle, WA 98124-1584

-- इस नम्बर पर फैक्स द्वारा 206-877-0640

Kaiser Permanente प्रस्तुत किए गए आवेदनपत्रों के पूर्ण होने पर उनकी समीक्षा करेगा, तथा Kaiser Permanente चिकित्सीय वित्तीय सहायता नीति के अनुसार निर्धारण करेगा कि आप पात्र हैं या नहीं। अपूर्ण आवेदनपत्र के परिणामस्वरूप आपके MFA आवेदनपत्र की प्रोसेसिंग में विलम्ब हो सकता है या या अस्वीकार किया जा सकता है, लेकिन Kaiser Permanente आवेदकों को अधिसूचित करेगा तथा आवश्यक समय सीमा के अन्दर अनुपस्थित दस्तावेज या सूचना भेजने का अवसर प्रदान करेगा।